

कार्यालय, नगरपालिक निगम रायगढ, (छत्तीसगढ)
परिषद के विशेष सम्मिलन बैठक दिनांक 28/09/2017 समय दोपहर 02:00 बजे
प्रारूप - ग
(नियम 8 देखिए)

कार्यसूची मद क्रमिक	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	पारित संकल्प	उस स्थिति में जब विनियम न हो पार्षद का नाम जिसने मतदान किया विनियम के फर्म में	विनियम के विषय में	मतदान नहीं किया	मतदान का साधन
7	2	3	4	5	6	7
01	<p>राष्ट्रीय परिवार सहायता के प्रकरणों के संबंध में एम.आई.सी. के बैठक दिनांक 12.05.2017 प्रस्ताव क्र. 06 में लिये गये निर्णय पर विचार :-</p> <p>राष्ट्रीय परिवार सहायता के प्रकरणों की समीक्षा विषयक संचालक समाल कल्याण रायपुर छ.ग. का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके बिन्दु क्रमांक 02 में उल्लेख है कि छ.ग. समाज कल्याण विभाग का मार्गदर्शिका क्रमांक/स.अ./2005/1782 दिनांक 03.10.2005 के कठिना (3)2 अनुसार हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु स्थानीय निकायों द्वारा मृत्यु तिथि से एक निश्चित समय निर्धारित करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।</p> <p>में लिये गये निर्णय अनुसार - मई 2016 के पूर्व के प्रकरण पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेगा अर्थात् 01 जून 2016 के राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनागत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	<p>प्रकरण प्रस्तुत हुआ.</p> <p>राष्ट्रीय परिवार सहायता से संबंधित पूर्व के जितने भी आवेदन पत्र वार्ड के सहायताधिकारियों के पास लंबित है, 15 दिवस के भीतर निराकरण किया जाये। पूर्व में दिए गए राष्ट्रीय परिवार सहायता से संबंधित समस्त आवेदनों के पात्र हितग्राहियों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>वर्तमान में राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा मृत्यु दिनांक से 06 माह तक निर्धारित की जाती है। पी.एम. (पोस्टमॉर्टम) रिपोर्ट के प्रकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान की जा सकेगी।</p>				

02	<p>नगर पालिक निगम रायगढ़ को खुले में शौच मुक्त करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>प्रकरण प्रस्तुत हुआ। सख्त भारत मिशन अंतर्गत "खुले में शौच मुक्त" करने हेतु निर्धारित मापदंड पूर्ण होने के कारण रायगढ़ नगरीय क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बंधुस्त के अन्तर्गत पर घोषित किया जाता है। घोषणा उपरान्त प्रस्ताव के विषय में निम्नांकित पाठ्यक्रम द्वारा कई वर्डों में शौचालय नहीं बने हैं, जिसे लेकर अपना लिखित आवेदन दर्ज कराया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री शाखा यादव, पार्षद वार्ड क्र. 14 2. श्री कमल पटेल, पार्षद वार्ड क्र. 09 3. श्रीमती समता आदित्य, पार्षद वार्ड क्र. 44 4. श्रीमती जानकी काटजू, पार्षद वार्ड क्र. 04 5. श्री पंकज पटेल, पार्षद वार्ड क्र. 43 <p>वर्षों के दरम्यान सभी सामान्यीय सदस्यों के द्वारा शौचालय निर्माण संबंधी अनियमितताओं के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के संबंध में समिति से शौचालय निर्माण की जांच हेतु जांच समिति की मांग की गई विचारोपरान्त श्री शाखा यादव की अध्यक्षता में निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री शाखा यादव, पार्षद वार्ड क्र. 14 अध्यक्ष 2. श्री शरद सराफ, पार्षद वार्ड क्र. 09 सदस्य 3. श्री रामकृष्ण खटजू, पार्षद वार्ड क्र. 20 सदस्य 4. श्री शरद सराफ, पार्षद वार्ड क्र. 34 सदस्य 5. श्री बटप्रकाश पांडेय, पार्षद वार्ड क्र. 35 सदस्य 6. श्री रंजीत उर्फ रावतन सिंह, पार्षद वार्ड क्र. 42 सदस्य 7. श्री झोनी शर्मा, ऐल्डरमैन सदस्य 8. श्री संजय ठाकुर, सहायक अभियंता सदस्य सचिव 9. संबंधित क्षेत्र के उप अभियंता न.पा.नि. रायगढ़ सदस्य <p>यह समिति 15 दिवस में कार्यपालन अभियंता के माध्यम से जांच प्रतिवेदन आयुक्त, न.पा.निगम रायगढ़ के संपक्ष प्रस्तुत करे। जांच प्रतिवेदन परिषद के अवलोकन हेतु आगामी परिषद के पटल पर रखा जावे।</p>
----	--	--

1/2/2024
 1/2/2024
 1/2/2024

1/2/2024
 1/2/2024
 1/2/2024

2/2/2024